न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रवीण कुमार,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 24 / 2024 (सी.आई.एस.नम्बर 24 / 2024)

एफ. आई. आर. सं. 464 / 2023, पुलिस थाना – बिछीवाडा

राजस्थान राज्य –अभियोगी

:: बनाम ::

01. रामा पिता नाथा खोखर उम्र 80 साल निवासी मालमाथा फला रिछडी पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) –अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत 302 भा.दं.सं.

उपस्थिति :–

1. श्री उदयसिंह चौहान, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री मोहम्मद जाहिद, विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 10.06.2026**

1. यह प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर के आदेश से अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 19.03.2024 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी भीमराज पिता रामा खोखर उम्र 47 साल निवासी मालमाथा फला रिछडी पुलिस थाना बिछीवाडा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे माता जीवली व पिता रामा दोनो मेरे मकान के पाास ही बने दुसरे मे रहते है। कल लगभग समय करीब 3 से 4 बजे मेरे माता पिता मेरी बहिन जमना के घर नवाघरा कनबा से घर पर आये थे। रात को खाना खाकर सो गये। आज सुबह 8 बजे मेरा लडका जयदीप मेरे माता पिता जहां रहते है उस घर पर गया था जो चिल्लाता हुआ आया। वह बताया कि दादी के मुह पर लगा हुआ है। दादी बोल नही रही है। जिस पर मैने जाकर देखा तो मेरी मां जीवली के सिर पर दाहिनाी आंख, दाहिने कान, पर चोट लगी हो, खुन निकले हुए थे। मेरी मां की मृत्यु हो चुकी थी। मैने मेरे पिता रामा को घर व आस पास तलाश किया। मेरे पिता कहीं नही मिले। मैने मेरे परिवार वालों को सूचना दी जिस पर मेरे परिवार के लोग भी मौके पर आये। मुझे शंका है कि मेरे पिता रामा पिता नाथा खोखर मे मेरी मां के

साथ मारपीट की जिसे मेरी मां की मृत्यु हो गई है..........आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना धम्बोला द्वारा प्रकरण संख्या 464/2023 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान एवं संकलित साक्ष्यों से अभियुक्त रामा के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भादस के तहत आरोप पत्र अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे डूंगरपुर के समक्ष पेश किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को कमिट की गई, जहां से प्रकरण निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

3. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त को अपराध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त अपराध के आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन निम्न लिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गया :-

कम सं.	**गवाह का नाम**	**पी डब्ल्यू**
01.	कांतिलाल	पी.डब्ल्यू. 01
02.	अमृतलाल	पी.डब्ल्यू. 02
03.	भीमराज	पी.डब्ल्यू. 03
04.	दिनेश	पी.डब्ल्यू. 04
05.	सुरज	पी.डब्ल्यू. 05
06.	बंशीलाल	पी.डब्ल्यू. 06
07.	अर्जुनलाल	पी.डब्ल्यू. 07
08.	हितेष	पी.डब्ल्यू. 08
09.	जयदीप	पी.डब्ल्यू. 09
10.	बजरंग लाल चौधरी	पी.डब्ल्यू. 10
11.	सुनिल जांगिड	पी.डब्ल्यू. 11
12.	डॉ. पंकज भोई	पी.डब्ल्यू. 12
13.	मदनलाल	पी.डब्ल्यू. 13
14.	दिनेश चंद्र	पी.डब्ल्यू. 14
15.	नारायण लाल	पी.डब्ल्यू. 15

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नानुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये-

कम संख्या	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**

01.	प्रदर्श पी. 01	फर्द पंचायतनामा
02.	प्रदर्श पी. 02	फर्द सुपुर्दगी लाश
03.	प्रदर्श पी. 03	फर्द जब्ती कपडे
04.	प्रदर्श पी. 04	मौका रिपोर्ट
05.	प्रदर्श पी. 05	फर्द जब्ती कुर्ता रामा
06.	प्रदर्श पी. 06	फर्द जब्ती कुल्हाडी
07.	प्रदर्श पी. 07	फर्द तस्दीक घटना स्थल
08.	प्रदर्श पी. 08	लिखीत रिपोर्ट
09.	प्रदर्श पी. 09	धारा 164 के बयान
10.	प्रदर्श पी. 10	फर्द गिरफ्तारी
11.	प्रदर्श पी. 11	पोस्टमार्टम बाबत तहरीर
12.	प्रदर्श पी. 12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
13.	प्रदर्श पी. 13 से 15	मृतका के फोटोग्राफ
14.	प्रदर्श पी. 16	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
15.	प्रदर्श पी. 17	थाने का अग्रेषण पत्र
16.	प्रदर्श पी. 18	साक्षी को सम्मन
17.	प्रदर्श पी. 19	आधार कार्ड अभियुक्त
18.	प्रदर्श पी. 20	बैंक की पास बुक
19.	प्रदर्श पी. 21 व 22	अभियुक्त व मृतका के फोटो
20.	प्रदर्श पी. 22	बैंक की पास बुक
21.	प्रदर्श पी. 23	धारा 27 की सूचना
22.	प्रदर्श पी. 24	मालखाना रजिस्टर की प्रति
23.	प्रदर्श पी. 25	थाने का अग्रेषण पत्र
24.	प्रदर्श पी. 26	एस पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र
25.	प्रदर्श पी. 27	एफएसएल प्राप्ति रसीद
26.	प्रदर्श पी. 28	चॉक एफआईआर
27.	प्रदर्श पी 29 लगायत37	रोजनामचा रपटे
28.	प्रदर्श पी 38	पटवारी को जारी तहरीर
29.	प्रदर्श पी 39 से 41	खसरे की नकल

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को झूठा फंसाये जाने, निर्दोष होने का कथन करते हुये

7. दौराने बहस विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एव दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध पूर्ण रूप से साबित करने वह सफल रहा है। अंत में अभियुक्त को अपराध धारा 302,201 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को व मृतका को घटना से ठीक पूर्व साथ–साथ एवं अंतिम बार देखे जाने का तथ्य साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हुआ है। प्रकरण की चश्मदीद साक्षी पीडब्ल्यू 05 सूरज देवी द्वारा भी घटना की ताईद नहीं की गई है। प्रकरण में चिकित्सकीय साक्ष्य भी ऐसे नहीं है जो अभियुक्त को अपराध से जोड सके। बरामदगी साबित नहीं है। घटना की कडी से कडी अभियोजन जोडने में असमर्थ रहा है। गवाहो के बयानों में भारी विरोधाभास है। आदि कथन करते हुये अंत में अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. **इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु तय करना है :–**

आया अभियुक्त ने दिनांक 23.11.2023 को रात्रि के किसी समय मौजा मालमाथा फला रिछडी में परिवादी भीमराज की माता जीवली जो अभियुक्त की पत्नी थी, के सिर व चेहरे पर कुल्हाडी की मुदर से वार कर ऐसी चोटें पहुंचाई जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हत्या कारित करने के लिए पर्याप्त थी, इस प्रकार अभियुक्त ने मृतका जीवली की हत्या कारित की?

यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित होते हैं, उचित दण्ड क्या होगा?

10. अवधार्य बिन्दु का विनिश्चय :–

अवधार्य बिन्दु अभियोजन पक्ष के पक्ष में तय किया जाता है।

11. **<u>विनिश्चय के कारण</u>**

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाये तो हस्तगत प्रकरण में

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुये है जिनमें से पी.ड. 02 अमृतलाल, पी.ड.8 हितेष न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुये है।

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित हुये है उनमें किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्त के आरोपित अपराध में संलिप्त होने के संबंध में कथन नहीं किये है, न ही किसी गवाह ने अभियुक्त को मृतक को मारते हुये देखे जाने के कथन किये है। ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तथा चिकित्सकीय साक्ष्य की मिलीजुली साक्ष्य का विश्लेषण किये जाना निर्णय के लिये एक आवश्यक तथ्य है जिस पर भी गवाहों की साक्ष्य के साथ ही विश्लेषण किया जा रहा है।

अब यदि अभियोजन पक्ष की ओर से जो शेष गवाह बचे है, उनका विश्लेषण करे **गवाह पी ड 03 भीमराज,** जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, ताईदी बयान से संबंधित गवाह है, ने अपनी साक्ष्य में कथन किये कि आज से करीब 6 से 7 महीने की बात है। मेरे माता पिता मेरी बहन जमना के घर जाकर आए थे ओर शाम को खाना खाकर सो गए। मेरे माता पिता मेरे मकान के पास ही दूसरे मकान में रहते है। घटना के दूसरे दिन सुबह मेंरा लडका जयदीप मेरे पिता के घर गया और चिल्लाता हुआ वापस आया और घर आकर मुझे बताया कि मेरी दादी जिवली के मुह पर खून लगा हुआ है और बोल नहीं रही है जिस पर मैने जाकर देखा तो मेरी मां खाट पर अचेत अवस्था में खाट पर पडी हुई थी। मेरी मां जिवली के सीर पर, आंख पर ओर कान पर चोट लगी हो खून निकल रहा था उस समय मेरी मां जिवली की मृत्यु हो चूकी थी। उस समय मेरे पिता रामा घर पर नहीं थे। मेरे पिता की तलाश की लेकिन वह नहीं मिले। मेरी मां को रात्रि के समय मेरे पिता ने कुल्हाडी से वार कर मेरी मां को मार दिया। फिर मेने परिवार के लोगों को घटना की सूचना दी। मेरे माता पिता दोनो अच्छे रहते थे उनके बीच कोई लडाई झगडा नहीं था। मेने घटना के संबंध में रिपोर्ट पुलिस को दी थी, जो प्रपी 08 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले मेरी मां के घर पर मौका देखने आए थे। मौका प्रपी 04 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरी मां जिवली की लाश का पंचनामा बनाया था, जो प्रपी 01 है, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। मेरी मां के अंतिम संस्कार हेतु उनकी लाश मुझे सुपूर्द की थी प्रपी 02 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने वक्त घटना मेरी मां के पहने हुए कपडे जब्त

किये थे। फर्द जब्ती कपडे प्रपी 03 है, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह कहना सही है कि मेरे माता पिता दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। इनके किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा नहीं था। यह कहना सही है कि घटना के समय मैं मौके पर नही था। यह सही है कि मेरी मां की मृत्यु हुई तब मैं मेरे घर पर था। यह सही है कि मेरी मां की कब, कितने बजे व कैसे मृत्यु हुई मुझे नहीं पता। मैं मेरी मां की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन रात को 9 से 10 बजे सोया था व सुबह 5 बजे उठा था। घटना के 8 से 10 दिन पहले मेरे पिता को देखा था। मैं गुजरात मेहसाणा में काम करता हूं। यह कहना गलत है कि घटना के समय मैं मेहसाणा हूं बल्कि घर पर था। यह सही है कि रिपोर्ट प्रपी 08 मैने नहीं लिखी थी किसने लिखी यह मुझे नहीं पता। मेरे तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे। मेरे पुलिस बयान हुए थे। प्रपी 01, 02, 03, 04 पर हस्ताक्षर एक साथ हॉस्पीटल में करवाये थे। मेरा मकान मेरे पिता के मकान से लगभग 10 फीट की दूरी पर है। यह सही है कि मेरे पिता के घर से यदि कोई चिल्लाये तो उसकी आवाज मेरे घर पर आती है। यह सही है कि प्रपी 03 पर एक्स स्थान पर क्या सिल लगी हुई है यह मुझे नहीं पता है। मेरी मां की साडी गुलाबी कलर की थी। मेरी मां खाट पर सो रही थी। मेरी मां के मकान का फर्श कच्चा है। मेरी मां की खाट के उपर बिस्तर बिछे हुए थे। यह सही है कि बिस्तर पर खून लगे हुए थे। यह सही है कि जिस खाट पर मेरी मां सो रही थी, उसके बिस्तर जब्त नहीं किये थे। मेरे मेरे पिताजी से घटना से पहले कोई बातचीत नहीं थी न ही घटना के बाद कोई बातचीत हुई। मेरी माता का मकान खूला है। यह कहना गलत है कि मेरी माता का मकान खूला हो, वहां पर कोई भी आ सकता है। मेरे पिताजी के घर कोई मेहमान नहीं आता है सब मेहमान मेरे घर पर आते हैं। मेरे पिताजी के पास अमरा का मकान है। उसके पास में बाबूलाल का मकान है। यह सही है कि मेरे पिताजी ज्यादातर मंदिरों में ही रहते थे ओर घर पर बहुत कम आया जाया करते थे। यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी व मेरी मां के बीच पैतृक संम्पति को लेकर विवाद हो। मेरे छोटे भाई दिनेश का मकान मेरे पिताजी के मकान से 200 मीटर की दूरी पर है। घटना के दिन मेरा भाई दिनेश मेरी मां के घर नहीं आया था घटना के बाद मेरे बुलाने पर आया था। मेरा भाई दिनेश मेरी मां के घर आता जाता रहता था। मेरी माता पिता के मेरे भाई दिनेश के साथ संबंध अच्छे थे। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो गवाह ने अपनी साक्ष्य मे कथन किया कि 6–7 महीने पहले उसके**

माता पिता उसकी बहन जमना के घर जाकर आए थे। शाम को वे खाना खाकर सो गए। सुबह गवाह के लडके जयदीप ने बताया कि मृतका जीवली के मुंह पर खुन लगा हुआ है और बोल नही पा रही है अचेत अवस्था मे खाट पर पडी है।उसके पास ही दूसरे मकान मे रहते है। गवाह की मां जीवली के सिर पर, आंख पर, कान पर चोट लगी होकर खुन निकल रहा था। जीवली की मृत्यु हो चुकी थी। गवाह ने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट किए कि उस समय उसके पिता/अभियुक्त घर पर नही थे। काफी तलाश करने के बाद भी वह नही मिले। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह तथ्य भी प्रकट किए कि मेरी मां को रात्रि के समय मेरे पिता ने कुल्हाडी से वार कर मेरी मां को मार दिया। अपनी साक्ष्य मे गवाह ने प्रदर्श 8,4,1,2,3 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। अपनी प्रति परीक्षा मे गवाह ने ऐसे तथ्य प्रकट नही किए है जिससे मुख्य परीक्षा का खंडन हो। गवाह ने अपनी साक्ष्य मे यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि जब उसकी मां की मृत्यु हुई तब वह घर पर ही था। उक्त गवाह जो मृतका व अभियुक्त का पुत्र है, ने अपनी मुख्य परीक्षा मे अंतिम बार अपने माता पिता को एक साथ सोते जाते हुए देखा तथा सुबह अपनी मां की हत्या हो जाने के बाद अपने पिता को मौके से भाग जाने पर व तलाश करने पर भी नही मिलने के स्पष्ट कथन किए है अपने साक्ष्य मे उक्त गवाह ने अभियुक्त द्वारा कुल्हाडी से वार कर उसकी मां मृतका जीवली की हत्या की जाने के स्पष्ट साक्ष्य दिए है, जो उसकी प्रतिपरीक्षा मे भी अखंडित रही है। गवाह ने अभियोजन पक्ष को समर्थित करने वाले कथन किए है।

पी.ड.01 कांतिलाल जो कि फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द सुपूर्दगी लाश, फर्द जब्ती खुनालूदा कपडे की ताईद का गवाह है, ने अपनी साक्ष्य मे कथन किया है कि पिछले साल विधानसभा के चुनाव के एक दो दिन पहले रामा ने उसकी पत्नी जिवली को मार दिया था, जिस पर पुलिस वाले हमारे गांव मालमाथा जिवली के घर पर आये थे ओर पुलिस ने जिवली के घर का मौका देखे थे। ओर जिवली की लाश को बिछीवाडा हॉस्पीटल ले गये थे। पुलिस ने वहां पर जिवली की लाश का पंचनामा बनाया था और उसके कपडे जब्त किये थे। फर्द पंचायत नामा प्रपी 01 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने जिवली की लाश उसके पुत्र भीमराज को सुपूर्द की थी। फर्द सुपूर्दगी लाश प्रपी 02 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतका के खून के कपडे जब्त किये थे। फर्द जब्ती प्रपी 03 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है**

कि मेरा व भीमराज का मकान 500 मीटर की दूरी पर है। प्रपी 03 पर पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर हॉस्पीटल में कराये थे। प्रपी 03 में पुलिस ने क्या लिखा पढी की है मुझे नहीं पता है। मृतका के कपडो का क्या कलर था मुझे नहीं पता। यह सही है कि प्रपी 03 में क्या सिल मोहर लगाई है मुझे नहीं पता है। पुलिस वालों के कहने से मैने हस्ताक्षर कर दिये थे। आज में न्यायालय में भीमराज के साथ आया हूं। मेरे व भीमराज के अच्छे संबंध है। भीमराज मेरा काका लगता है। रामा भगत प्रवृति का सन्यासी व्यक्ति है जो भिक्षा लेकर अपना भरण पोषण करते है तथा भिक्षा के लिए हरिद्वार व अलग अलग तिर्थस्थानों पर जाते है वहां से पैसा लेकर घर पर आते हैं। पैसा घर पर नहीं रखते है पेसा बेंक में रखते हैं। यह कहना सही है कि प्रपी 01 व प्रपी 02 पर क्या लिखा पढी की है वह मुझे पता नहीं है। मेरे तो केवल हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि मुल्जिम का किसी से कोई विवाद नहीं था, सबसे प्रेम भाव से रहता था। यह सही है कि मुल्जिम और उसकी पत्नी भी प्रेम भाव से रहते थे। यह कहना सही है कि घटना के समय मौजूद नहीं था क्या घटना हुई मुझे नहीं पता है। गवाह के साक्ष्य का विश्लेषण करे तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे विधानसभा चुनाव के दो दिन पहले रामा द्वारा उसकी पत्नी जीवली को मार दिए जाने के अखंडित कथन किए है। उक्त गवाह ने फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श 1, फर्द सुपूर्दगी लाश प्रदर्श 2, फर्द जब्ती खुनालूदा कपडे प्रदर्श 3 पर अपने हस्ताक्षरो की ताईद की है। गवाह के साक्ष्य अभियोजन पक्ष को समर्थित करने वाली रही है।

पी.ड.02 अमृतलाल जो कि फर्द पंचायतनामा लाश मृतका, फर्द जब्ती खुनालूदा कपडे मृतका, फर्द निरीक्षण घटना स्थल, फर्द जब्ती अभियुक्त, फर्द जब्ती घटना मे प्रयुक्त हथियार कुल्हाडी, फर्द तस्दीक घटनास्थल की ताईद का गवाह है जो न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। परंतु उक्त गवाह ने प्रदर्श 1, 3, 4, 5, 6, 7 पर अपने हस्ताक्षर होने के तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट किए है। गवाह ने स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य मे कथन किया है कि **"रामा ने उसकी पत्नी जिवली के साथ मारपीट कर चला गया था। हमने जाकर देखा तो जिवली मरी हुई थी।"** इस प्रकार उक्त गवाह जो कि अभियुक्त का निकट रिश्तेदार सगा भतीजा होते हुए **यघपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है** तथापि उसके द्वारा अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट करना तथा उनके द्वारा देखे जाने पर मृतका के मृत पाए जाने के कथन किए है जो घटना की परिस्थितियां बताते हुए यह स्पष्ट कर रहा है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व अंतिम समय मे अभियुक्त व मृतका साथ–साथ थे,

तथा अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट की जा रही थी। गवाह के साक्ष्य घटना की परिस्थितियां व्यक्त कर रही है।

गवाह पी.ड.04 दिनेश जो कि फर्द निरीक्षण घटना स्थल एवं ताईदी बयान 161 का गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि गत वर्ष होली के त्यौहार के पहले की बात है। मै सुबह आठ बजे अपने घर पर था। करीब आठ बजे मेरे भाई भीमराज ने मुझे बताया कि मां जीवली खाट पर पडी हुई है और मुंह व चेहरे पर चोट आई है। मै तुरन्त मेरे भाई के घर गया मैने जाकर देखा मेरी मां जीवली खाट पर मृत अवस्था मे पडी थी। उस समय मेरे पिताजी रामा घर पर नही थे कहां पर गये थे मुझे पता नही। मेरे भाई ने आस पास व परिवार के लोगों को बुलाया। मेरी मां की हत्या किसने की पता नही । मेरे पिताजी घर पर नही थे इसलिए शंका के आधार पर मै कह रहा हूॅ कि मेरे पिताजी रामा ने मेरी मां को मारा होगा। मेरे भाई ने पुलिस मे रिपोर्ट की थी। पुलिस ने मेरे भाई भीमराज के घर आकर मौका बनाया था। मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि मेरी मां की हत्या से पहले मेरी मां व पिता दोनों साथ साथ अच्छे रहते थे। उनके बीच मे कभी झगडा नही होता था। मेरी मां की मृत्यु के 15 दिन बाद पुलिस ने मेरे पिता रामा को बिछीवाडा रेलवे स्टेशन से पकडा था यह सही है कि मेरे पिताजी सन्यासी बन गए है। यह सही है कि मेरे पिताजी अक्सर मंदिरों मे रहते है और पैसे इकटठा करते है। यह सही है कि मेरे पिता जब घर से जाते थे तो कभी 15 दिन कभी 1 महीने मे वापस आते थे। मेरा मकान मेरे भाई भीमराज के घर से 500 मीटर की दूरी पर है। मेरे पिताजी रामा व मेरा भाई अलग अलग मकान मे रहते थे। यह सही है कि मेरी मां मेरे पिताजी के साथ रहती थी। यह सही है कि मेरे भाई भीमराज और मेरे पिताजी रामा के बीच लडाई झगडा होता रहता था। भीमराज खेती बाडी करता है कोई रूपये नह कमाता है। खेती से ही उसका परिवार का भरण पोषण चलता है। यह मुझे नही पता कि जब मेरे पिताजी मंदिरों से भिक्षा मांग कर रूपये लेकर आते उस समय भीमराज मेरे पिता रामा से पैसे मांगता हो। पुलिस ने मेरे घर पर व अस्पताल व थाने मे करवाये थे। प्रदर्श पी 4 पर मैने हस्ताक्षर कहां किए मुझे नही पता। प्रदर्श पी 4 में पुलिस ने क्या लिखा मुझे नही पता। यह सही है कि मेरी मां घ ार के बाहर परसाल मे सोती थी और पिताजी परसाल मे ही जमीन पर सोते थे। यह सही है कि परसाल खुली हुई है। यह सही है कि उक्त परसाल मे कोई भी

आ जा सकता है। यह कहना सही है कि मेरे भाई व पिताजी के बीच पैसो को लेकर विवाद था। यह मुझे नही पता की मेरी मां, मेरे पिता रामा को पैसे भीमराज को देने से मना करती हो। **गवाह के साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने मौका रिपोर्ट प्रपी 4 पर अपने हस्ताक्षरो की ताईद की है। गवाह ने मौके पर मृतका की लाश पडी होने उसके मुंह व चेहरे पर चोटे आने व अभियुक्त का मौके से चले जाने के कथन किए है। गवाह फर्द नक्शामौका प्रपी 4 पर अपने हस्ताक्षर होने तक के साक्ष्य मे अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रहा है।

गवाह **पी.ड. 5 सुरज** जो कि धारा 161 ताईदी बयान व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानो की गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि पांच छह महीने पहले की बात है। मेरे ससुर व हमारा मकान पास मे ही है। मेरे सास ससुर दुसरे मकान मे रहते है। उस दिन रात को मै, मेरे पति व बच्चे खाना खाकर सो गये थे। मेरे सास ससुर व मेरे मकानों मे लाईट कनेक्शन है। रात के तीन चार बजे मै पेशाब करेन उठी थी उस समय मैने देखा कि मेरा ससुर रामा मेरी सास को कुल्हाडी से मार रहे थे। मेरी सास खाट पर गिर गई । मै डर कर घर के अंदर जाकर सो गई। सुबह मै उठी तो मेरे ससुर घर पर नही थे कहीं चले गये थे। मेरे ससुर की तलाश की लेकिन वो नही मिले। मेरी सास जीवली के सिर व आंख पर चोट आई थी। सुबह मे आस पास के लोग आ गये थे इसके बाद मेरे पति ने पुलिस मे रिपोर्ट दी थी। मेरे पुलिस ने डूंगरपुर मे जज साहब के वहां बयान कराये थे जो बयान प्रदर्श पी 9 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि मेरा मकान व ससुर जी का मकान 100 मीटर की दूरी पर है। यह सही है कि घटना के दिन हमारे घर पर व ससुर जी के घर पर लाईट नही थी उस दिन रात को अंधेरा था। यह सही है कि मुझे दूर का नही दिखता है। यह सही है कि मेरे ससुर व सास जीवली प्रेम पुर्वक अच्छे रहते थे उस दिन उनके बीच कोई लडाई झगडा नही था। मैने रामा के घर से रात को कोई झगडे की आवाज नही सुनी थी। यह सही है कि रात को मैने घटना के बारे मे किसी को कुछ नही बताया था। यह सही है कि घटना के दिन मेरे पति मजदूरी करने गये थे। यह सही है कि मेरे पति हमारे सो जाने के बाद घर पर आये थे। यह सही है कि मेरे घर पर घडी नही है मैने जो घटना का समय अंदाज से बताया था। यह सही है कि मेरे पति व ससुर के बीच पैसों को लेकर विवाद था। यह सही है कि प्रदर्श पी 9 धारा 164 के बयान मेरे पति के कहे

अनुसार लिखवाये थे। यह सही है कि मै चश्मा लगाती हूॅ उस दिन मैने चश्मा नही लगाया था। यह सही है कि चश्मा के बिना मुझे धुंधला दिखाई देता है। घटना के समय मैने चश्मा नही लगाया था जब मै पेशाब करने आई थी। यह सही है कि मेरे ससुर जी सन्यासी प्रवृति के है और वो ज्यादातर मंदिरों मे ही रहते है कभी कभार घ ार पर आते है। यह सही है कि मेरे ससुर जी का मकान खुला है वहां पर कोई भी आ जा सकता है। यह सही है कि मेरे ससुर जी रात के समय भी कभी कभी घर से चले जाते थे। यह सही है कि उस दिन भी हमारे सोने से पहले रात को चले गये थे। यह सही है कि सुबह मे मेरे ससुर जी घर पर नही मिले इसलिए शंका के आधार पर उनका नाम पुलिस रिपोर्ट मे लिखवाया थां। यह सही है कि मुझे हिन्दी बोलना नही आता है न ही हिन्दी भाषा समझ मे आती है। मै वागडी भाषा बोलती हूॅ और वागडी भाषा समझती हूॅ। **गवाह के साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा मे यह तथ्य प्रकट किए है कि **"रात के 3–4 बजे मै पेशाब करने उठी थी उस समय मैने देखा कि मेरा ससुर रामा मेरी सास को कुल्हाडी से मार रहे थे। मेरी सास खांट पर गिर गई। मै डर कर घर के अंदर जाकर सो गई। सुबह मे उठी तो मेरे ससुर घर पर नही थे। कही चले गए थे। मेरे ससुर की तलाश की लेकिन वो नही मिले।"** उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से जो कथन किए है वे प्रतिपरीक्षा मे भी अखंडित रहे हैं गवाह ने घटना की परिस्थितियां एवं अभियुक्त के कृत्य को स्पष्ट करते हुए अभियुक्त का घटना के पश्चात मौके से चले जाने के तथ्य प्रकट किए है जो अभियुक्त के विरूद्व ही उपधारित किए जाने योग्य है। उक्त गवाह ने अभियुक्त व मृतका को मृतका की मृत्यु होने से ठीक पूर्व अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ मारपीट करने को देखा है जिसके संबंध मे वो अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अखंडित साक्ष्य दे रही है। उक्त गवाह अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण गवाह है जिसने बयान 164 सीआरपीसी के अंतर्गत भी यह तथ्य प्रकट किए है कि **" सुबह को करीब 3 बजे मै पेशाब करने के लिए उठी तो मेरे सास ससुर के मकान से चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरे सास ससुर पडसाल मे आपस मे लड रहे थे। वहां लाईट जल रही थी। मैने बेल पत्र के पेड के पास मे जाकर देखा कि मेरे ससुर ने कुल्हाडी से मेरी सास को दाहिने आंख की तरफ व सिर पर आगे और पीछे मारा, जिससे मेरी सास खाट पर गिर गई। मेरे ससुर ने पीले रंग का कुर्ता व धोती पहन रखी थी। मै यह देखने के बाद घबरा गई और घर मे बिना किसी को बताए चुपचाप सो गई। दिनांक 24.11.2023 को सुबह 5 बजे उठकर मै**

सास ससुर को चाय देने उनके मकान मे गई। वहां मैने देखा कि मेरी सास खाट पर पडी हुई है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। सास की दाहिनी आंख पर सिर पर आगे व पीछे तरफ, दाहिने कान पर चोटें आई हुई थी व खून निकल रहे थे। मैने पूरे मकान मे ससुरजी की तलाश की जो मुझे ही पर नही मिले तो मै घबराकर अपने घर गई और सोये हुए पति व बच्चो को उठाकर पूरी घटना बता दी।'' इस प्रकार गवाह ने न्यायालय मे परीक्षण के दौरान, बयान 161 एवं बयान 164 मे अभियुक्त के कृत्य एवं घटना की परिस्थितियां इस प्रकार की व्यक्त की है जो अभियुक्त को आरोपित अपराध मे संलिप्त कर रही है।

गवाह **पी.ड. 06 बंशीलाल व पी.ड. 7 अर्जुन लाल** उक्त दोनो गवाह फर्द पंचायतनामा लाश के गवाह है ने अपनी साक्ष्य मे कथन किया है कि गत वर्ष जीवली की मृत्यु हो गई थी कैसे मृत्यु हुई इसका पता नहीं। पुलिस वाले वहां पर आ गये थे। पुलिस जीवली की लाश बिछीवाडा हॉस्पीटल में ले गये थे जहां पर पुलिस ने जीवली की लाश का पंचनामा बनाया था। पंचायतनामा लाश प्रपी 01 है, जिस पर हमारे हस्ताक्षर है। गवाहो के साक्ष्य का विश्लेषण करे तो गवाहो ने फर्द पंचायतनामा लाश प्रपी 1 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है।

पी.ड.08 हितेष जो कि फर्द जब्ती कुर्ता अभियुक्त, फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त हथियार कुल्हाडी, फर्द तस्दीक घटनास्थल ने अपनी साक्ष्य मे कथन किया है कि दिनांक 24.11.2023 की बात है। सुबह मे मेरी दादी जीवली खाट पर मरी हुई मिली थी। उनका सिर खुन से सना हुआ था। घर पर हो हल्ला होने से पास पडोसी व परिवार के लोग इकटठा हो गये थे। पुलिस को सुचना देकर बुलाया था। पुलिस ने मौका बनाया था। घर पर पुलिस छानबीन की तो पुलिस को कुल्हाडी मिली। उस समय मेरे दादा रामा घर पर नही थे और आज दिन तक घर पर नही आया। पुलिस ने मेरे दादा को 17–18 दिन बाद गिरफतार किया था। गिरफतार होने के बाद मेरे दादा रामा को लेकर मेरी उपस्थिती मे पुलिस वाले घर पर नही आये थे। मेरे सामने मेरे दादा रामा ने कोई कुल्हाडी पुलिस को बरामद नही कराई थी ओर न ही मेरे दादा रामा ने घटना स्थल पुलिस को बताया था। **गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह अभियुक्त होता है, जिसने प्रपी 05, 06 व प्रपी 07 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है।**

गवाह पी.ड. 09 जयदीप जो की ताईदी बयान 161 का गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि करीब एक साल पहले की बात है। मेरे

दादा रामा एवं दादी जीवली दोनों पास ही बने दुसरे मकान मे रहते थे। दिनांक 24.11.2023 को सुबह 8 बजे मै मेरे दादा व दादी जिस घर मे रहते है उस जगह गया तो मैने देखा कि दादी खाट पर पडी थी। दादी के मुंह पर खून लगा हुआ था और वह कुछ बोल नही रही थी। जिस पर मै रोता हुआ आया और मेरे पिताजी व मम्मी को यह बात बताई। फिर मेरे माता पिता और मैने वापस जाकर देखा तो मेरी दादी जीवली के सिर पर ओर चेहरे पर खुन लगा हुआ था। मेरे दादा रामा घर से भाग गये थे। फिर मेरे माता पिता ने मेरे दादा रामा की आस पास तलाश की लेकिन वह कहीं नही मिले। मेरे दादा मेरी दादी के साथ कभी कभी झगडा करता था। उस दिन मेरे घर पर बहुत सारे लोग व पुलिस आ गई थी। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** मेरा मकान व मेरे दादा का मकान न्यायालय कक्ष से बाहर रोड तक जाये इतना दुर है। यह सही है कि मेरे दादा दादी साथ साथ रहते थे और प्रेम पुर्वक रहते थे। यह सही है कि मेरी दादी कैसे मरी मुझे नही पता। मेरे दादाजी भगत है और ज्यादातर मंदिरों मे ही रहते है । मेरे दादाजी घटना के 10—15 दिन पहले घर आये थे फिर चले गये थे। हम हमारे दादाजी के घर पर कभी कभी जाते थे। मेरे दादाजी कब घर पर आते थे कब बाहर रहते थे वह मुझे नही पता। मै सुबह मे देखने गया इससे पहले शाम को दादी को रोटी देने मै गया था वहां पर दादी अकेली थी। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त व मृतका को दिनांक 24.11.2023 से पूर्व की शाम को साथ होने का कथन किया है तथा दिनांक 24.11.2023 की सुबह 8 बजे गवाह की दादी मृतका के शरीर पर खून होना व वह मृत होना तथा उसका दादा/अभियुक्त मौके से भाग जाना तलाश करने पर भी नहीं मिलना तथा उसके दादा का उसकी मृतका दादी के साथ झगडा करने का भी कथन किया है। गवाह ने घटना के तुरंत बाद अभियुक्त का मौके से भाग जाना व तलाश करने पर भी नहीं मिलना। अभियुक्त के विरूद्ध ही उक्त ताईद की जाने वाली परिस्थियां बता रहा है।

गवाह पी.ड. 10 बजरंग लाल चौधरी फर्द गिरफतारी व फर्द तस्दीक घटनास्थल ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 14.12.2023 को पुलिस थाना बिछीवाडा मे कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 464/2023 मे आईओ ने बतौर मौतबिरान मेरे व कानि सुनिल कुमार के समक्ष अभियुक्त रामा पिता नाथा खोखर निवासी मालमाथा को गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रपी 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा

अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई थी। अभियुक्त के पास से 4517 रूपये और अन्य दस्तावेज मिले थे। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** चार हजार पांच सौ सत्रह रूपये कितने कितने के नोट थे मुझे पता नही। यह मुझे नही पता कि मुल्जिम रामा को आईओ कहां से लेकर आये थे मैने रामा को थाने पर देखा था और फर्द गिरफतारी पर हस्ताक्षर किये थे। यह सही है कि उस समय रामा के साथ और कोई उसका रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति नही था अजखुद कहा कि थोडी देर बाद उसका पुत्र भीमराज आया था। यह सही है कि आईओ ने फर्द गिरफतारी प्रपी 10 पर उसके पुत्र भीमराज के हस्ताक्षर नही करवाये थे। यह सही है कि सुवेरा कबा भाई मीणा, सुवेरा लालु भाई मीणा निवासीयान लुसाडिया कौन है मुझे याद नही। मै नही इनको जानता हूॅ और नही उनको देखा था। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने फर्द गिरफतारी प्रपी 10 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। गवाह फर्द गिरफतारी का औपचारिक मात्र है।

गवाह **पी.ड.11 सुनिल जांगिड** जो कि फर्द गिरफतारी व फर्द तस्दीक घटनास्थल ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 14.12.2023 को पुलिस थाना बिछीवाडा मे कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 464/2023 मे आईओ ने बतौर मौतबिरान मेरे व कानि बजरंग लाल के समक्ष अभियुक्त रामा पिता नाथा खोखर निवासी मालमाथा को गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रपी 10 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई थी। अभियुक्त के पास से 4517 रूपये और अन्य दस्तावेज, फोटो मिले थे। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि प्रकरण के आईओ मदन लाल जी का उस समय रिडर था। यह सही है कि मदनलाल जी के कहे अनुसार मैने फर्दे लिखी है। यह सही है किं अभियुक्त रामा को कहां से गिरफतार किया था मुझे पता नही। यह सही है कि प्रपी 10 थाने पर बनाई थी। यह सही है कि 4517 रूपये कितने कितने रूपये के नोट थे मुझे याद नही है। यह सही है कि मैने अभियुक्त की जामा तलाशी नही ली थी। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने फर्द गिरफतारी प्रपी 10 पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। गवाह फर्द गिरफतारी का औपचारिक मात्र है।

पी.ड. 12 डॉ. पंकज भोई जो कि मृतका की पीएम रिपोर्ट का गवाह है ने चिकित्सकीय साक्ष्य का गवाह है ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक 24.11.2023 को सीएचसी बिछीवाडा मे मेडिकल आफिसर के पद पर

कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना बिछीवाडा द्वारा तहरीर प्रपी 11 पर मृतका श्रीमती जीवली पत्नि रामा खोखर की लाश का पोस्टमार्टम करने हेतू दी गई थी। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर मेरे द्वारा मृतका जीवली का पोस्टमार्टम किया गया। मृतका मालमाथा गांव फला रिछडी की रहने वाली होकर उसकी मृत्यु 10—12 घंटे पहले हुई थी। मृतका के शरीर को देखने पर उसके मुंह पर, ललाट पर, दायीं आंख व दायें कान पर खुन के रिसाव के धब्बे थे। मृतका के शरीर पर निम्न चोटे थी। चोट संख्या 1 दाहिनें कान के उपर कटा हुआ घाव 1.5 गुणा 2.4 सेमी था। चोट संख्या 2 दाहिनी आंख और दाहिने ललाट पर फ्रैक्चर के साथ घाव था। चोट संख्या 3 फ्रैक्चर के साथ दायीं तरफ का जबडा टुटा हुआ था। चोट संख्या 4 दाहिनी तरफ कपाल मे ब्रेन मे रक्त का थक्का जमा हुआ था। मेरी राय मे मृतका की मृत्यु खुन के बहने से, कोमा मे जाने ब्रेन व फेस इन्जरी आने से इसकी मृत्यु हुई है। उक्त सभी चोटे कुन्दालय से कारित की हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रपी 12 है जिस पर ए से बी मेरी राय होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि प्रपी 12 मे वर्णित चोटे शार्प हथियार से नही आई है। प्रपी 12 मे वर्णित चोटें फोर्स से मारने पर आती है।नशा करने वाले व्यक्ति का बल अलग अलग आता है और सामान्य व्यक्ति का बल अलग आता है इसलिए मै यह नही कह सकता कि कितने उम्र के व्यक्ति के द्वारा बल द्वारा मारने पर यह चोटे आ सकती है। ये चेाटे पत्थर से नही आ सकती है । यह सही है कि मृतका कैसे मरी यह मुझे किसी ने नही बताया। मैने पुलिस की तहरीर पर पीएम किया था। यह सही है कि फेस पर आई चोट से मृत्यु कारित नही हो सकती है।.**गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने प्रपी 12 की चोटें फोर्स मारने पर आने व शार्प हथियार से नहीं मारने का कथन करते हुए यह तथ्य भी स्पष्ट किया है कि उक्त चोटें पत्थर से नहीं आ सकती है। गवाह ने मृत्यु का कारण खून के अधिक बहने, कोमा में जाने, ब्रेन व फेस इंजरी आने से होना बताया है। गवाह ने मृतका की चोटों एवं परिस्थियों को बताते हुए स्वयं से संबंधित फर्दों पर अपने हस्ताक्षर की ताईद की हो।

पी.ड.14 दिनेश चंद्र जो कि जब्तशुदा सैम्पलों को सिलचिटशुदा प्राप्त कर कागजात तैयार कराने, सैम्पलों को एफएसएल जयपुर जमा कर जमा रसीद लाकर पेश करने का गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है किमै दिनांक 19.12.2023 को पुलिस थाना बिछिवाडा मै कानि के पद पर तैनात था उस दिन प्र.

सं 464 / 2023 मे प्रकरण मे जप्त शुदा मालखाना मे जमा शिलशिट शुदा आर्टिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे जमा कराने हेतु आर्टिकल मय कागजात मुझे मालखाना इंचार्ज ने सौपे जिसे मैने एसपी कार्यालय डूँगरपुर पहुच जमा करवा एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवा उसी दिन शाम को जयपुर के लिये रवाना हुआ दुसरे दिन दिनांक 20.12.2023 को एफएसएल जयपुर मे जमा करवा जमा प्राप्ति रसिद प्राप्त कर थाना बिछिवाडा पहुच मालखाना इंचार्ज को रसिद सुपुर्द की। पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रपी 25 है। एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रपी 26 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जमा प्राप्ति रसिद प्रपी 27 है। मालखाना रजिस्टर प्रपी 24 ए पर आर्टिकल प्राप्त करने एवं रसिद जमा कराने के सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिरीक्षा मे कथन किया है कि** यह कहना सही है कि आर्टिकल क्या थे मुझे नही पता अज खुद कहा आर्टिकल शिलशिट अवस्था मे मिले थे। यह कहना सही है कि आर्टिकल मैने एसपी ऑफिस मे जमा कराये थे। यह कहना गलत है कि आर्टिकल मेरे पास नही हो। एसपी ऑफिस मे आर्टिकल एक बार देख लिये इसके बाद कहा कि आपके पास रखो। यह कहना सही है कि मै एसपी ऑफिस आया था तब मे लघुशंका के लिये गया था। लघुशंका करने गया तब मै एसपी ऑफीस कार्यालय वालो को सौप कर गया था। यह कहना गलत है कि मै उस दिन उक्त आर्टिकल के अलावा अन्य प्रकरण के आर्टिकल ले गया हो। मै आर्टिकल जमा कराने बस से गया था। बस की कोई टिकिट वगैरहा प्रस्तुत नही की है। यह कहना सही है कि प्रपी 25 पर मेरे हस्ताक्षर नही है। यह कहना सही है कि थाने से आर्टिकल लेकर रवाना हुआ उसका कोई अंकन नही है। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** उक्त गवाह ने प्रकरण में जब्तशुदा माल व आर्टिकल दौराने अनुसंधान सिलचिट अवस्था में रहने तथा उनके साथ किसी प्रकार की छेडछाड नहीं होने के तथ्य प्रकट किये है। गवाह ने स्वंय से संबंधित फर्दो पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है।

पी.ड. 15 नारायण लाल जो कि मालखाना गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षाा मे कथन किया है कि मै दिनांक 24.11.2023 को पुलिस थाना बिछिवाडा मे हैड कानि . मालखाना ईन्चार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या 464 / 2023 धारा 302 भादस मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण मे मृतका से जप्त शुदा 2 आर्टिकल एवं अभियुक्त से दिनांक 15.12.2023 को जप्त शुदा शिलचिट 2

आर्टिकल मालखाना मे जमा करवाये जिसे मैने मालखाना रजिस्टर की क्रम संख्या 208 पर 1 से 3 पर इंन्द्राज कर जमा लिये। दिनांक 19.12.2023 को प्रकरण मे जमा शुदा आर्टिकल एवं कागजात की विधिविज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराने विशेष वाहक दिनेश को शिलचिट अवस्था मे सुपुर्द किये उसी दिन शाम को जयपुर के लिये रवाना हो दिनांक 20.12.2023 को उक्त आर्टिकल एफएसएल जयपुर मे जमा करवा प्राप्ती रसिद प्राप्त कर दिनांक 21.12.2023 को मुझे संभलवायी जिसे मैने अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किये मालखाना रजिस्टर प्रपी 24 है, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रपी 24ए है जिस पर ए से बी थानाधिकारी मदनलाल के सी से डी विशेष वाहन दिनेश के ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि** यह सही है कि उक्त प्रकरण मे आर्टिकल मार्क ए दिनांक 24. 11.2023 को मैने जमा लिया था। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 208 के बाद 209 पर मैने इन्द्राज किया क्रमांक 209 मे मैने आर्टिकल दिनांक 23.11. 2023 को लेना बताया है यह कहना गलत है कि मैने आर्टिकल 208 लेने के लिये पुर्व से खाली रखा हो। यह सही है कि 209 मै दिनांक 23.11.2023 अंकित है। यह सही है इसी प्रकरण मे बाकी आर्टिकल 2 दिनांक 15.12.2023 को जमा लिया था यह कहना गलत है कि मैने दिनांक 15.12.2023 आट्रिकल आने की संभा वना के मध्यनजर मैने मालखाना रजिस्टर मे जगह खाली छोडी हो। मैने मालखाना जमा कराने की रसिद आई ओ/थानाधिकारी को सुपुर्द की थी। यह सही है कि मैने आर्टिकल के अंन्दर क्या है यह नही देखा था। यह मेरी जानकारी मे नही है उक्त आर्टिकल थानाधिकारी कहां से लाये फिर कहा अनुसंधान अधिकारी घटना स्थल से लाये होगे। यह सही है कि मै घटना स्थल पर नही गया था। यह सही है कि आज प्रकरण मे जप्त शुदा आर्टिकल न्यायालय मे लेकर नही आया हुॅं। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** उक्त गवाह ने प्रकरण में जब्तशुदा माल व आर्टिकल दौराने अनुसंधान सिलचिट अवस्था में रहने तथा उनके साथ किसी प्रकार की छेडछाड नहीं होने के तथ्य प्रकट किये है। गवाह ने स्वंय से संबंधित फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। गवाह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होकर अभियोजन पक्ष को समर्थित कर रही है।

हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह **पी.ड. 13 मदनलाल जो कि अनुसंधान अधिकारी** ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि मै दिनांक को 24. 11.2023 को थाना बिछीवाडा मे थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। मोर्चरी गृह

राज. चिकित्सालय बिछीवाडा मे प्रार्थी श्री भीमराज खोखर भील ने एक लिखीत रिपोर्ट प्रपी 8 पेश की। रिपोर्ट के मजमुन से मामला 302 आईपीसी का घठित होने से मन एसएचओ मोका कार्यवाही मशगुल हुआ। बाद मोके कार्यवाही थाने पर पहूच उक्त लिखीत रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 464/2023 धारा 302 आईपीसी मे पंजिबद्ध कर अनुसंधान स्वंय के जिम्मे लिया। तहरीरी रिपोर्ट पर सी से डी मोर्चरी गृह पर कार्यवाही पुलिस का प्रष्ठांकन होकर ई से एफ थाने पर पहूच कायमी प्रकरण का प्रष्ठांकन है जिस पर ए से बी भीमराज के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण मे मृतका जीवली पत्नि रामा खोखर निवासी मालमाथा फला रिछडी थाना बिछीवाडा का पंचान की उपस्थिती मे लाश का निरीक्षण कर फर्द पंचनामा मुर्तिब किया जो प्रपी 1 है जिस पर ए से बी सी से डी, ई से एफ, जी से एच व आई से जे मौतबिरान व गवाह के हस्ताक्षर है, के से एल मोतबिर सुवेरा कबा भाई के हस्ताक्षर है एम से एन गवाह शारदा के व ओ से पी मेरे हस्ताक्षर है। मृतका की लाश का पीएम कराने एमओ साहब बिछीवाडा को तहरीर प्रस्तुत की जो प्रपी 11 है जिस पर ए से बी एमओ साहब की रसीद होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। बाद पीएम मृतका जीवली की लाश उसके पुत्र भीमराज को मोतबिरान की उपस्थिती मे सुपुर्द कर फर्द सुपुर्द की लाश प्रपी 2 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबिरान व प्रार्थी के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण हांजा मे मृतका जीवली के वक्त घटना पहने खुन आलूदा कपडे साडी व दुपटटा को बतोर वजह सबुत मोर्चरी गृह पर प्राप्त कर सिलचिट कर एक सफेद कपडे की थैली मे रख सिलचिट किया जिसकी फर्द जब्ती मुर्तिब की जो प्रपी 3 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबिरान व प्रार्थी के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सिल का अंकन है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी भीमराज की निशादेही से घ टना स्थल मोजा मालमाथा फला रिछडी मे मृतका जीवली का कच्चा रिहायशी मकान का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब किया जो प्रपी 4 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ मोतबिरान व प्रार्थी के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मृतका जीवली की पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रपी 12 है जिस पर ए से बी चिकित्साधिकारी की राय(मृत्यु का कारण) अंकित होकर सी से डी उनके हस्ताक्षर होकर ई से एफ मेरा शामिल फाईल का प्रष्ठांकन होकर मेरे हस्ताक्षर है। दौराने पीएम मृतका जीवली के मेरे स्वयं के मोबाईल से फोटोग्राफस लिये जाकर फोटो प्रिन्ट शामिल पत्रावली किये जो प्रपी 13 से लगायत प्रपी 15 है

जिस पर ए से बी मेरे शामिल फाईल का प्रष्ठांकन व हस्ताक्षर है। उक्त फोटोग्राफस मे किसी प्रकार की काट छांट, एडिटिंग व मुल रूप मे कोई संशोधन नही कर मृतका की फोटोग्राफस की प्रिन्ट ली थी जिसके संदर्भ मे धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया जो प्रपी 16 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण हांजा मे गवाह भीमराज, दिनेश, जयदीप, सुरज देवी, दिनेश चंद्र, मणीलाल के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। प्रकरण हांजा मे चश्मदीद गवाह सुरज देवी के धारा 164 सीआरपीसी के कथन लिवाने बाबत न्यायालय जेएम कोर्ट डूंगरपुर को निवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रपी 17 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जिसकें संदर्भ मे सम्मन प्रपी 18 है जिस पर ए से बी मेरे शामिल फाईल का प्रष्ठांकन होकर हस्ताक्षर है। गवाह सुरज देवी के धारा 164 सीआरपीसी के कथन प्रपी 9 है जिस पर एक्स स्थान पर गवाह की अंगूठा निशानी होकर ए से बी मेरे शामिल फाईल हस्ताक्षर है। अनुसंधान से अभियुक्त रामा खोखर के खिलाफ अपराध धारा 302 आईपीसी का प्रमाणित पाये जाने से प्रपी 10 के गिरफतार किया गया जिस पर ए से बी , सी से डी मोतबिरान के हस्ताक्षर व सी से डी अभियुक्त रामा के व जी से एच मेरे हस्तातक्षर है। अभियुक्त से जामा तलाशी रामा का आधार कार्ड, जन आधार व बैंक आफ बडोदा का एटीएम व डायरी कार्ड,व बचत खाते की पास बुक तथा उसका स्वंय का पत्नि सहित फोटो मिले जो शामिल पत्रावली किये गये, जो प्रपी 19 से लगायत प्रपी 22 है जिन पर ए से बी मेरे मेरे हस्ताक्षर है। दोराने अनुसंधान अभियुक्त रामा ने मुझ आईओ को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूूचना दी की मैने जिस जगह मेरी पत्नि जीवली की कुल्हाडी के मोदर से मारपीट .... कुल्हाडी व कुर्ता मै साथ चलकर बरामद करा सकता हूॅ जो प्रपी 23 है जिस पर ए से बी रामा के व सी से डी मेरे हसताक्षर है। सूचना के अनुसरण मे अभियुक्त रामा ने घटना स्थल रिहायशी मकान मालमाथा फला रिछडी का तस्दीक कराया और उस स्थान को तस्दीक कराया उसमे कुल्हाडी से मारपीट की एवं बाद मारपीट वक्त घटना स्वंय द्वारा पहना कुर्ता जिस पर खुन लगा हुआ हो एवं कुल्हाडी को छुपाया जिसके स्थल की तस्दीक करा उक्त कुल्हाडी व कुर्ता बरामद कराया जिसकी फर्द तस्दीक घटना स्थल मोतबिरान की उपस्थिती मे मुर्तिब की जो प्रपी 7 है जिस पर ए से बी, सी से डी, मौतबिरान के व ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। घटना मे प्रयुक्त हथियार कुल्हाडी को मौतबिरान की उपस्थिती मे बरामद कराई जिसे बतौर वजह सबुत जब्त

कर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क बी अंकित किया जाकर फर्द जब्ती मुर्तिब की जो प्रपी 6 है जिस पर ए से बी सी से डी मोतबिरान के हस्ताक्षर होकर ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर होकर एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। अभियुक्त रामा का गोल्डन कलर का कुर्ता जिस पर खुन के धब्बे लगे होने से बतौर वजह सबुत मौतबिरान की उपस्थिती मे जब्त कर सफेद कपडे मे रखकर मार्क सी अंकित किया जाकर फर्द जब्ती कुर्ता मुर्तिब की जो प्रपी 5 है जिस पर ए से बी सी से डी मोतबिरान के हस्ताक्षर होकर ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर होकर एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। जब्तशुदा आर्टिकलों को मालखाना मे जमा करा एचएम मालखाना मे सुरक्षित रखे। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रपी 24ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जब्तशुदा आर्टिकल मृतका जीवली के खुन आलुदा कपडे मार्क ए, आरोपी रामा खोखर की निशादेही से जब्तशुदा आलाए कत्ल कुल्हाडी मार्क बी व अभियुक्त का वक्त घटना पहना कुर्ता मार्क सी की एफएसएल जांच करवाने हेतू थाने से एसपी साहब को मुर्तिब किया गया अग्रेषण पत्र प्रपी 25 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रपी 26 है जिस पर ए से बी विशेष वाहक कानि दिनेश होकर सी से डी मेरे शमिल फाईल होकर हस्ताक्षर है। एफएसएल जमा रसीद प्रपी 27 है जिस पर ए से बी मेरे शामिल फाईल होकर हस्ताक्षर है। प्रकरण हांजा की चाक एफआईआर प्रपी 28 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रकरण हांजा मे कार्यवाही के दोरान आमद रवानगी को रोजनामचे मे अंकित किया जिनकी रपटें शामिल पत्रावली की जो प्रपी 29 से लगायत प्रपी 37 है। दौराने अनुसंधान प्रकरण हाजा मे घटना स्थल मकान/ भूमि के संबध मे राजस्व रिकार्ड चाहने बाबत पटवार मण्डल मालमाथा को तहरीर पेश की जो प्रपी 38 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर होकर सी से डी पटवारी दिक्षित कलाल का प्रष्ठांकन जिसमे घटना स्थल राजस्व रिकार्ड के अनुसार रामा खोखर के नाम दर्ज का अंकन होकर ई से एफ उनके हस्ताक्षर है। उक्त रसीद की रिपोर्ट सहित जमा बंदी प्रपी क्रमशः 39,40,41 हैजिन पर ए से बी पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। प्रकरण हाजा की एफएसएल रिपोर्ट प्रपी 42 है। संपूर्ण अनुसंधान से रामा पिता नाथा खोखर निवासी मालमाथा फला रिछडी के विरूद्ध अपराध धारा 302 आईपीसी का प्रमाणित पाये जाने से चार्ज शीट माननीय न्यायालय मे पेश की जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। **गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि**

यह कहना गलत है कि प्रपी 4 मुर्तिब करने के बाद मै मौके पर दुबारा नही गया हूॅ। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका प्रपी 4 बनाते वक्त फरियादी के परिवार के सदस्यों को ही गवाह बनाया हो। यह सही है कि प्रपी 4मे अंकित मकान सी व ए के बीच मे 50–100 मीटर की दुरी है। यह सही है कि प्रपी 4 मे अंकित मकानो के बीच की दुरी का अंकन नही है। यह सही है कि आई से जे भाग दिवार है वो कच्ची मिटटी की बनी हुई है। टायलेट बाथरूम जो बना हुआ है उससे ए स्थान की दुरी लगभग 100 मीटर है। बाथरूम से ए स्थान के अंदर दिखता है या नही मै आज नही बता सकता। यहसही हे कि प्रपी 8 रिपोर्ट किसकी हस्तकलमी है मै नही बता सकता मुझे तो भीमराज ने लिखीत रिपोर्ट पेश की थी। यह सही है कि जिस दिन घटना की रिपोर्ट दी उस दिन मै मौके पर नही गया था क्योंकि रात हो चुकी थी। मै मोके पर घटना के तीन दिन बाद गया था। थाने से घटना स्थल करीब 7–8 किमी दुर है। चुंकि विधान सभा चुनाव होने से कानुन व्यवस्था ड्युटी मे व्यस्त होने से घटना स्थल को प्रिजर्व रखते हुए तीन दिन बाद गया जिसका फर्द घटना स्थल मे अंकन नही होकर डायरी मे अंकन है। जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया उसका फर्द मे अंकन है। प्रपी 5 व 6 को बनाने मे करीब 20 मिनट का समय लगा था। यह मै आज नही बात सकता कि मुल्जिम किस तरह के कपडे पहनता था परन्तु अभियुक्त की निशार्दी से जो कुर्ता जब्त किया था वह वक्त घटना पहना हुआ था। यह कहना गलत है कि मैने खुले स्थान से बरामदगी की हो। यह सही है कि प्रपी 4 बनाने गये उस समय मृतका व अभियुक्त के मकान को मेरे द्वारा सील नही किया गया था। अभियुक्त रामा की निशादेही से जब्त उसके स्वयं के कुर्ते की पृथक से पहचा परेड नही कराई गई क्योंकि उसने स्वंय ने सूचना पर स्वंय का वक्त घटना पहना हुआ कुर्ता होना बता कर जब्त कराया था। मै पत्रावली देखकर बता सकता हूॅ कि कुर्ता किस जगह से जब्त किया था। जिस घर से जब्ती की कार्यवाही की उस घर के अंदर कोई व्यक्ति नही था। दौराने जब्ती मकान बंद अवस्था मे था ताला लगा हो तो मुझे याद नही। यह कहना गलत है कि अभियुक्त जब्ती के समय बाहर बैठा हो और हम अंदर गये हो। यह सही है कि बिस्तर वगैरा हमारे द्वारा जब्त नही किया गया। यह कहना गलत हे कि प्रपी 5 व 6 थाने पर बैठकर बनाई हो। यह सही है कि प्रपी 5 व 6 मे मौके पर बनाई हो ऐसा अंकन नही है ,डायरी मे अंकन है। यह सही है कि घटना स्थल से खुन आलुदा मिटटी या कंट्रोल सेम्पल मिटटी जब्त नही की है जो कि घटना स्थल निरीक्षण के दौरान इस

प्रकार के कोई अलामात नही पाये गये। यह कहना गलत है कि अभियुक्त के मकान से उसके निशादेही से जब्त कपडे जिस पर किसी अन्य ने खुन लगा दिया हो और वहां लाकर छिपा दिया हो। **गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण करे तो** गवाह ने अपनी साक्ष्य में स्वयं से संबंधित फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की है। गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह तथ्य भी प्रकट किये है कि अभियुक्त की निशादेही से वक्त घटना पहने हुए कुर्ता बरामद किया गया है साथ ही अनुसंधान से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि उक्त घटना की चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 05 सूरज देवी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में यह तथ्य भी प्रकट किये है कि घटना के तुरंत पश्चात अभियुक्त के भाग जाने पर अभियुक्त को शामलाजी गुजरात से थाने की टीम द्वारा डिटेन कर मेरे समक्ष पेश किया था जिसे बाद पूछताछ जुर्म स्वीकार करने पर थाने पर गिरफतार किया गया था। फर्द गिरफतारी प्रपी 10 में अभियुक्त द्वारा जूर्म स्वीकार किया गया हो ऐसा अंकन नहीं अर्थात् डायरी में अंकन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त को व मृतका को घटना से ठीक पूर्व साथ–साथ एवं अंतिम बार देखे जाने का तथ्य साक्ष्य द्वारा साबित हुए है। प्रकरण की चश्मदीद साक्षी पीडब्ल्यू 05 सूरज देवी द्वारा भी घटना की ताईद की गई है। हस्तगत प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी पीडब्लू 12 पंकज भोई द्वारा भी मृतका की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्त्राव, ब्रेन व फेस की इंजरी से कोमा में चले जाने की होना बताते हुए मृतका के शरीर पर मुंह, ललाट, दायीं आंख, दायें कान पर चोटें तथा ललाट, दाये जबडे में फ्रेक्चर होने के तथ्य प्रकट किये हो। उक्त चोटें अत्यधिक बल से मारने पर आने तथा पत्थर से चोटें नहीं आ सकने के भी कथन किये हो जो घटना की परिस्थियां कर रही है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त का मौके से घटना के ठीक पश्चात भाग जाना, तलाश करने पर भी नहीं मिलना अभियुक्त के विरूद्ध ही उपधारित करने योग्य है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत उपर्युक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हैं कि **आया अभियुक्त ने दिनांक 23.11.2023 को रात्रि के किसी समय मौजा मालमाथा फला रिछडी में परिवादी भीमराज की माता जीवली जो अभियुक्त की पत्नी थी, के सिर व चेहरे पर कुल्हाडी की मुदर से वार कर ऐसी चोटें पहुंचाई जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हत्या कारित करने के लिए पर्याप्त थी, इस प्रकार अभियुक्त**

ने मृतका जीवली की हत्या कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त रामा अपराध अंतर्गत धारा 302 भादंसं के लिये दोषी करार दिये जाने योग्य हैं।

आदेश

13. परिणामतः अभियुक्त रामा पिता नाथा खोखर उम्र 80 साल निवासी मालमाथा फला रिछडी पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भादंसं में दोषसिद्ध घोषित किया जाता हैं।

--sd--
(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज.)

दण्डादेश

14. अभियुक्त **रामा** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर दोनो पक्षों को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

15. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क हैं कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त अत्यन्त गरीब है। कारावास में भी उसका आचरण अच्छा रहा हैं। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं। अभियुक्त का मामला विरलतम मामलों में से विरले मामले की श्रेणी में नहीं आता हैं। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित करने की बजाय मात्र न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

16. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या कर हत्या के सबूत का विलोन करने से धारा 302 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया हैं। अतः दोषसिद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से अर्थात मृत्युदण्ड से दण्डित किया जावें।

17. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर गौर किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

18. प्रकरण में समस्त स्थापित तथ्यों एवं प्रमाणित परिस्थितियों अनुसार, चूंकि अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया हैं अतः ऐसे अपराध में मृत्युदण्ड से दण्डादिष्ट करने हेतु विरल मामलो

में से विरलतम मामला नहीं है व धारा 354(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मृत्युदण्ड दिये जाने हेतु अपेक्षित कोई विशेष कारण भी अभिलेख पर दृष्टिगत नहीं होते। अतः ऐसी स्थिति में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में मृत्युदण्ड की बजाय आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। अतः दोषसिद्ध अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **रामा** को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित हैं :–

क. सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	सजा की अवधि	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड सजा की अवधि
01	रामा	धारा 302 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास	पचास हजार रूपये	03 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास

19. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अन्तर्गत मूल सजा मे से कम की जायेगी अर्थात मुजरा की जाये।

20. प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत आर्टिकल फर्द जब्ती के अनुसार बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार नष्ट किये जावें व अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार निस्तारित किये जावें।

21. निर्णय की प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाये। अभियुक्त का सजा वारंट तैयार कर सजा भुगताने हेतु प्रभारी अधिकारी, कारागृह, डूंगरपुर को भेजा जावे।

--sd--
(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज.)

22. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 10–06–2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया ।

PREM KUMAR MEENA
Digitally signed by PREM KUMAR MEENA
Date: 2026.06.25 08:33:08 +0530

--sd--
(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डूंगरपुर (राज.)